प्रकरण संख्या–32 / 19 RCMS ID-2019/00243 तारीख रजु–18.10.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, हिण्डौन, अति. प्रभार टोड़ाभीम श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, – प्रार्थी

बनाम

श्री भरतसिंह राजावत, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत, भनकपुरा – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सीज्ड किये गये 2.35 क्विं. गेंहू को राजसात् करने बाबत्।

निर्णय

दिनांक–18.12.2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत किया है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.10.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया जिसमें अप्रार्थी की दुकान पर 2.35 क्विं. गेंहू अधिक पाया गया जिसे राजसात् करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि दिनांक 09.10.2019 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी, करौली के नेतृत्व में जांच दल जिसमें जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन अतिरिक्त प्रभार टोडाभीम तहसील, हरविन्द्र शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक नादौती, सुनीता मीना प्रवर्तन निरीक्षक करौली, अमित कुमार प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा, उचित मूल्य दुकानदार श्री भरतसिंह राजावात ग्राम पंचायत भनकपुरा 1/2 की दुकान की जांच हेतु ग्राम भनकपुरा पहुंचे। उपस्थित मौतविरानो के समक्ष डीलर की उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर तथा पोश मशीन की जांच व रिकार्ड से मिलान करने पर पाया गया कि डीलर की दुकान पर वक्त मौका निरीक्षण गेंहू का अवशेष स्टॉक 28.94 क्विं. के स्थान पर 31.26 क्विं. पाया गया जो वांछित मात्रा से 2.35 क्विं. गेंहू अधिक पाया गया। उक्त ऑडिट एवं भौतिक सत्यापन करने पर अधिक पायी गयी गेंहू की 2.35 क्विं. की मात्रा को एफ.पी.एस. डीलर श्री भरतसिंह के कब्जे से अधिग्रहण कर कब्जेराज किया गया तथा सुरक्षित संभालने एवं वास्ते साक्ष्य व सबूत उक्त अधिग्रहिता मात्रा 2.35 क्वि.. गेंहू को ग्राम पंचायत भनकपुरा के ही दूसरे भाग के डीलर श्री दिनेश सिंह की सुपुर्दगी में दिया गया जिसका सुपुर्दगी नामा श्री दिनेश सिंह द्वारा लिखा गया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्तशुदा 2.35 क्विं. गेंहू के अंतरिम निस्तारण के आदेश फरमाने का कथन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि पॉस मशीन से वितरण के बाद उपभोक्ता साधन के अभाव व अपनी व्यस्तता के कारण दुकान से गेंहू को नहीं ले जा पाये। उपभोक्ता जब अपने गेंहू लेने आये तब तक जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा औचक निरीक्षण किया जा चुका था।

प्रकरण संख्या—32 / 19 RCMS ID-2019/00243 तारीख रजु—18.10.2019

उपभोक्ताओं ने अपने शपथ—पत्र जिला रसद अधिकारी करौली को प्रस्तुत किये हैं। उपभोक्ताओं का विवरण निम्नानुसार है—

क्र.सं.	नाम	मात्रा गेंहूं	श्रेणी	राशन कार्ड संख्या
1	मुन्नी देवी पत्नी श्री अशोक हरिजन	35 किग्रा.	AAY	200002430124
2	जंगलीराम पुत्र नारायण बैरवा	35 किग्रा.	AAY	200002080079
3	अमरसिंह पुत्र ठण्डीराम मीना	70 किग्रा.	BPL	200002707822
4	चेतराम पुत्र परसादी धाकड	50 किग्रा.	SBPL	200002429277
5	सियाराम पुत्र लहरी जोगी	45 किग्रा.	SBPL	200002488843

अंत में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। वक्त जांच अप्रार्थी की दुकान पर 2.35 क्विं. गेंहू अधिक पाये गये थे जिनको अप्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं का होना बताया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वितरण शीट के अनुसार उक्त उपभोक्ताओं को दिनांक 03.10.2019 से 07.10.2019 के मध्य वितरण किया गया है जबकि जांच दिनांक 09.10.2019 को की गई है। किसी भी उपभोक्ता द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपने गेंहू को वापस दिलाये जाने की मांग नहीं की गई है जिससे जब्तशुदा गेंहू 2.35 क्विं. उक्त उपभोक्ताओं का होना जाहिर नहीं होता हैं। इस प्रकार उक्त गेहूं का अप्रार्थी द्वारा दुरुपयोग किया जाना विदित होता है। इसलिए हम जब्तशुदा गेंहू को राजसात् किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा 2.35 क्विं. गेंहू को राजसात् किया जाता है। जिला रसद अधिकारी करौली को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तशुदा 2.35 क्विं. गेंहू को जिस राशन डीलर की सुपुर्दगी में दिया गया है, उसके गेंहू के आवंटन रोस्टर में से एकबारीय 2.35 क्विं. गेंहू कम करके जब्तशुदा 2.35 क्विं. गेंहू को पोस मशीन द्वारा पात्र उपभोक्ताओं में बंटवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:19:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: